इकाई 5 भारत में बजट और बजट चक्र की अवधारणा और महत्व

इकाई की रूपरेखा

5.0 उद्देश्य

5.1 प्रस्तावना

5.2 बजट की अवधारणा

5.3 बजट का महत्व

5.4 बजट सम्बन्धी प्रक्रिया में प्रमुख संस्थाओं के कार्य

5.4.1 संसद

5.4.2 राजनीतिक कार्यकारी

5.4.3 लेखा परीक्षा विभाग

5.4.4 संसदीय समितियाँ

5.5 वार्षिक बजट की तैयारी

5.5.1 बजट की संवीक्षा

5.5.2 बजट–निर्माण के सिद्धान्त

5.6 बजट संबंधी प्रस्ताव को अधिनियमित करना

5.6.1 अनुदानों के लिए माँगे

5.6.2 वित्तीय बिल

5.6.3 विनियोग बिल

5.7 बजट का विधायी अनुमोदन

5.8 बजट का कार्यान्वयन

5.8.1 बजट का लेखाकरण और लेखा परीक्षा

5.9 निष्कर्ष

5.10 शब्दावली

5.11 संदर्भ लेख

5.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

5.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आप :

- लोक बजट के अर्थ और महत्व की समझ सकेंगे;
- बजट चक्र में सम्मिलित चरणों की व्याख्या कर सकेंगे।

5.1 प्रस्तावना

समुचित बजट सम्बन्धी प्रावधान न होने के कारण सरकारी कार्य, नीतियाँ और कार्यक्रम असफल हो जाएँगे और उनका कोई अर्थ शेष नहीं रहेगा। सरकार के बजट के लिए लोक

वित्त आधार होता है, अथवा सरकार के द्वारा वृद्धि किए गए राजस्व का आधार होता है जिसको कि लोक नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन करने के लिए वित्त आबंटित किया जाता है।

एक सामान्य अथवा विशेष वित्त इसलिए लोक बजट से प्राप्त किया जाता है, ताकि सरकार के द्वारा करों की दर (सामान और सेवाएँ) तथा उधार लेने के निर्णयों द्वारा राजस्व में वृद्धि की प्राप्ति को सम्मिलित किया जा सके। इस व्यवस्था के लिए प्रमुख न्यायोचित कारण यह है कि विशिष्ट सरकार के कार्यों तथा नीतियों के लिए बजट के द्वारा वित्त आबंटित किया जाता है। यह बहुत व्यापक और विषाल होता है जिसको राजनीतिक आदर्षहीन लोगों से कानून के द्वारा रक्षा करने की व्यवस्था की जाती है।

5.2 बजट की संकल्पना

"बजट" (Budget) शब्द का अर्थ फ्रेंच शब्द "बौगेट" (*Bougette*) से लिया गया है अथवा 'वालेट' यानी कि पहला 'चमड़े का बैग' या एक वालेट 'लम्बा लिफाफा' के अर्थ से लिया गया है, जिसको कि राजकोष के चांसलर, हाऊस ऑफ कॉमन्स के समक्ष आगामी वर्ष के लिए सरकार के वित्तीय योजना से सम्बन्धित अपने कागजों या दस्तावेजों को रखने के लिए प्रयोग करता था। इसलिए जब हाऊस के समक्ष अपनी वित्तीय योजनाओं को खोलकर प्रस्तुत किया करता था, वह कहता था या प्रयोग करता था कि वह अपना बजट खोल कर रख रहा है। यह वास्तव में एक थैला होता था या चमड़े का एक बड़ा बैग जिसको सबके समक्ष यानी हाऊस के सामने खोला जाता था। इस शब्द को वर्तमान अर्थ में जैसे प्रयोग किया जाता है, इसका पहली बार प्रयोग ब्रिटिश संसद में सन् 1733 में किया गया था। तब से लेकर आज तक यह वित्तीय योजनाओं अथवा सरकार की वार्षिक आय और खर्चों के विवरण के लिए इस शब्द यानी बजट का प्रयोग किया जाता रहा है।

एक बजट कार्य योजना होती है जोकि नीतियों और कार्यक्रमों को पूरा करने या कार्यान्वित करने के लिए निर्देशित करने का कार्य करती है। दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउटेंट्स "बजट" शब्द का इस प्रकार वर्णन करता है कि एक वित्तीय और/अथवा गुणात्मक वर्णन एक निश्चित समय अवधि के लिये पहले से ही आय–व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है, यह नीतियों से सम्बन्धित होता है जिसको दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयोजन से उस निश्चित अवधि में उस वित्त का प्रयोग किया जाता है, इस प्रस्ताव को बजट कहते हैं।" संक्षेप में यह कह सकते हैं कि बजट एक विशिष्ट समय अवधि के लिए संभावित आय और व्यय का एक प्राधिकृत विवरण होता है। इसका मुख्य रूप से गठन इस प्रकार होता है जैसे किः (i) आय और व्यय की योजना; (ii) जो लोक नीति को प्रतिबिम्बित करती है; तथा (iii) योजना व नियोजन, नियंत्रण, प्रबंधन और गतिविधियों के मूल्यांकन करने के लिए एक रचनातंत्र का कार्य करता है।

वाइल्डवस्की (Wildavsky) के अनुसार, बजट "एक लक्ष्यों की श्रंष्खला है जिसके साथ मूल्य का टेग लगा रखा है।" इस तरह से डाइमोक और डाइमोक (Dimock & Dimock) बजट की परिभाषा प्रस्तुत करते हैं कि "यह एक वित्तीय योजना होती है जिसको पूर्व, वर्तमान योजना के वित्तीय अनुभवों के साथ जोड़ते हुए संक्षिप्त करते हुए तैयार किया जाता है और भविष्य के लिए एक विशिष्ट समय अवधि के लिए प्रायोजित किया जाता है। यदि सरकार कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती है तो सरकार को उन उद्देश्यों का महत्व और उनकी आवश्यकताओं पर बल देते हुए उनकी नीतियों के विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। परन्तु इन उद्देश्यों की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती है जब तक

बजट में समुचित निधियों के प्रावधानों का निर्माण नहीं किया गया हो। परन्तु यह भी आवश्यक नहीं है कि सभी नीतियों का प्रतिबिम्ब बजट पर पड़ता हो या प्रभावित करता हो। जैसे कि एक संयुक्त राष्ट्र के प्रकाशन में टिप्पणी की है कि "कृकृ जबकि राष्ट्रीय बजट एक महत्वपूर्ण नीति दस्तावेज होता है, यह आवश्यक नहीं है कि यह एक सरकार की राष्ट्रीय नीतियों का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है तथा यह भी हो सकता है कि राष्ट्रीय विकास योजना के अनुकूल ही न हो।" (संयुक्त राष्ट्र)

5.3 बजट का महत्व

सभी लोकतान्त्रित देशों में बजट अधिकृत नीति दस्तावेज बन गया है। यह केवल सरकार के क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने का मुख्य साधन नहीं है। बल्कि मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था और सामाजिक गतिविधियों को विनियमित और प्रभावित करने के लिए इसका गहराई से प्रयोग किया जाता है। बजट कार्य योजना और एक मूल्यांकन करने का महत्वपूर्ण साधन है जोकि लोक नीतियों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध ा में निर्देशन करने का कार्य करता है। इसलिए बजट की आवश्यकता को सरकार की बहुआयामी कार्यकलापों के निष्पादन करने में प्रयोग किया जाता है। बजट वित्तीय प्रशासन या व्यवस्था का व्यापक पहलू है और इसका परिचालन विधायी प्राधिकारिताओं की सीमाओं के अंदर किया जात है। इसके लिए कार्यपालक इसके प्रयोग के सम्बन्ध में कानूनी और वित्तीय जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए विधानपालिका के प्रति उत्तरदायित्व रखते हैं। यह स्वीकृत रूप से बजट शासन की योजना में अधिकृत कमान की स्थिति में अपना कार्य करता है। आज की बजट पद्धति विधानपालिका को ना केवल कार्यकारियों द्वारा किए गए राजस्व संग्रह तथा उसके व्यय करने पर संपूर्ण नियंत्रण प्रदान करती है बल्कि इसके साथ ही सरकार की विभिन्न परियोजनाओं तथा स्कीमों में होने वाली प्रगति का भी मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन जाती है। बजट निर्देशित करता है जिसमें सरकार निकट भविष्य में क्या करना चाहती है उसका विवरण होता है, यह प्रायः आगामी राजकोषीय वर्ष ही होता है। बजट आवश्यकता तथा उसके महत्व पर बल देता है जैसा कि ब्रिजॅस (Bridge, 1964) कहते हैं कि "जो भी हो सरकार कुछ करें अथवा न करें, किन्तु बजट के अनुसार उस प्रत्येक वर्ष कार्य करने को वह टाल नहीं सकती है अर्थात् उस वर्ष भर कुछ न कुछ करना ही है और उसे लगातार सत्ता में रहना है तो होने वाले व्यय या खर्चों को पूरा करने के लिए राजस्व में वृद्धि करने के लिए संसद से प्राधिकार प्राप्त करना होगा जिसको बजट से पूरा किया जाएगा और इसके निष्पादन के लिए सदन में वित्तीय बिल को प्रस्तुत करना होगा।"

प्रशासन में बजट का प्रयोग करने के लिए महत्वपूर्ण स्थान स्थापित करने की मान्यता या स्वीकृति प्रदत्त करने के लिए रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (Royal Institute of Public Administration) के एक अध्ययन समूह ने आंकलन किया है कि "सभी संगठनों में चाहे वे किसी भी प्रकार के हों, उनको अनेक प्रकारों से सभी स्तरों पर बजट करने के कारण प्रबंधन करने में सहायता मिलती है अर्थात् बजट बनाने से प्रबंधन सहजता से अपना कार्य निष्पादन करता है। प्रथम स्तर या स्थान पर यह व्यापक प्रगतिशील आगामी योजना बनाने तथा निर्णय–निर्माण व नीतियों के पुनर्रीक्षण करने में सहायता करता है तथा योजनाओं की नियमित समीक्षा तथा भविष्य के लिए विवरणों के लिए सूचना तथा अवसरों दोनों को उपलब्ध कराता है। दूसरे यह इसके विपरीत यार्डस्टीक की आपूर्ति करती है, जिसमें वास्तविक परिणामों का निर्णय किया जा सकता है, अतः उनके महत्व और परिणामों के निर्धारण और निर्णय करने का पता लगाया जा सकता है। इन परिणामों को प्राप्त करने के लिए कार्य करने के उद्देश्य प्राप्ति का आह्वान किया जा सकता है। इस तरह

से यह अनुमान करने में सहायक होती है कि बजट को इन दोनों प्रकारों से प्रयोग किया जा सकता है फिर चाहे वह आय से सम्बन्धित हो या फिर राजस्व लेखा, पूँजी, व्यय अथा वित्त तथा नकद लेन–देन हो, उस पर खर्च से सम्बन्धित हो।"

संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि बजट अपने आप में व्यापक आयामों को समाहित करता है न केवल सांविधानिक विचार बिन्दु से बल्कि कार्यकारी व्यवस्था पर विधिक नियंत्रण करने का भी प्रयत्न करता है, इसके साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था से प्रबंधन को महत्वपूर्ण सहायता देकर उसके कार्यों को आसान बनाने में अपना सहयोग देना जैसे कि नीति–निर्माण और कार्य निष्पादन के ऊपर अपना नियंत्रण बनाये रखने के साथ उसकी निगरानी का कार्य भी सम्पन्न करता है, यह दोनों कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में, यह प्रशासनिक प्रबंधन का प्रमुख हिस्सा है या यह कह सकते हैं कि यह उसका ह्रदय है। यह संयोजन का एक शक्तिशाली सहयोगी साधन या उपाय भी है। इसका कार्य निशेधात्मक कार्य भी होता है जैसे कि अपव्यय वित्तीय खर्चों को नश्ट करने के लिए, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए महत्वपूर्ण औजार है।

5.4 बजट सम्बन्धी प्रक्रिया में प्रमुख संस्थाओं के कार्य

भारत में बजट सम्बन्धी प्रक्रिया वास्तव में एक कठिन कार्य है। यह विभिन्न स्तरों पर विविध ा संस्थाओं से सम्बन्धित होता है अथवा उनके कार्यों में समाहित होता है। संघीय स्तर पर बजट सम्बन्धी प्रक्रिया में प्रमुख अभिकर्त्ताओं या कार्यवाहकों अथवा अभिकरणों का संक्षेप में विवरण दिया जाता है जिनका उनको पालन करना पड़ता है।

5.4.1 संसद

भारत में संसद सबसे उच्चतम निकाय है जिसमें बजट सम्बन्धी प्रक्रिया का निष्पादन करना सम्मिलित है। बजट के आय–व्यय करने के लिए संसद से अनुमोदन करवाना अनिवार्य है। संसदीय लोकतंत्र के मानकों के साथ समानुरूप से देश में लोक निधि के संरक्षक के रूप में संसद को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष जिसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और उनके समक्ष "वार्षिक वित्तीय विवरण" (Annual Financial Statement) प्रस्तुत किया जाएगा। यह वार्षिक वित्तीय विवरण मुख्य रूप से बजट दस्तावेज है। यहाँ पर यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भारत के संविधान में "बजट" नामक शब्द की स्थापना नहीं की गई है, उसमें यह शामिल नहीं है। इसके अतिरित संसद के दोनों सदन जिसमें निचलें सदन लोकसभा से ही संघ के बजट के साथ सभी वित्तीय मामलों पर सम्पूर्ण नियंत्रण होता है।

5.4.2 राजनीतिक कार्यकारी

भारत में, कार्यकारी (कार्यपालक) बजट सम्बन्धी प्रक्रिया में उसकी समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केन्द्रीय वित्त मंत्री संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत करता है। वित्त मंत्रालय कार्यकारी की प्रमुख इकाई होता है जिसको बजट के सक्रिय परिचालन के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है। वित्त मंत्रालय बजट सम्बन्धी प्रक्रिया का एक नोडल अभिकरण है। लोकसभा के समक्ष बजट प्रस्तुत करने के लिए सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व और खर्चों के अंतिम आँकड़े बनाने से लेकर व उसके आंकलन कर उसको पटल पर रखने का कार्य वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसको सुनिश्चित किया जाता है और गारन्टी दी जाती है कि देश के वित्त सम्बन्धी कार्यों को समुचित देखभाल के साथ व्यवस्थित किया गया है।

5.4.3 लेखा परीक्षा विभाग

एक अन्य महत्वपूर्ण संस्था है जोकि बजट सम्बन्धी प्रक्रिया में सम्मिलित है वह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General - CAG) का कार्यालय है। संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय संसद की ओर से लेखा परीक्षक का कार्य निष्पादन करेगा, तथा सरकार के विभागों द्वारा किए गए सभी वित्तीय व्यवहारों की जाँच–परख उनकी निष्ठा कानूनी वैधता और दक्षता के आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। पिछले कुछ वर्शों से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय एक सषक्त संस्था के रूप में उभर कर सामने आया है, यह सरकार की वित्तीय अनियमितताओं की बड़ी शक्ति के साथ जाँच करने का कार्य करने लगा है। हालाँकि हमारे देश में इस तरह की भूमिकाओं के विरुद्ध भी लोग आलोचनाएँ करने लगे हैं और इसके विरुद्ध अपना तर्क भी प्रस्तुत करने लगे हैं।

5.4.4 संसदीय समितियाँ

अंतिम रूप से देश की बजट सम्बन्धी प्रक्रिया में आंकलन, लोक लेखा तथा लोक उपक्रम पर संसदीय समितियों का गठन किया गया है तथा इसी तरह से 24 विभागीय स्थायी समितियों की स्थापना की गई है जो वित्तीय व्यवहारों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाती हैं। इन समितियों को महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए है जिसमें सरकार की वित्तीय या इसके सार्वजनिक उपक्रमों की प्रक्रिया व्यवहारों पर नियंत्रण करने का कार्य सम्मिलित है। इन समितियों को संसद के द्वारा समय की वित्तीय कमियों तथा बाद के कथित विशेषज्ञताओं की अदक्षमताओं के कारण होने वाली कमियों को पूरा करने का कार्य भी दिया गया है। यहाँ पर यह बता देना आवश्यक है कि इन समितियों की भूमिकाएँ बजट सम्बन्धी प्रक्रिया में अलग तरह की होती हैं। उदाहरण के लिए आकलन समिति को लीजिए यह सरकार के विभिन्न विभागों के व्यय अथवा खर्चों के आकलनों में मितव्ययिता व किफायतों का सुझाव देती है ताकि उनको और अधिक वास्तविकताओं या प्रासंगिक और आर्थिक रूप से सुदष्ढ़ बनाया जा सके। इसके साथ ही लोक लेखा समिति, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा रिपोर्ट के आधार पर व्ययों की समीक्षा व जाँच परख होती है। ये समितियाँ इस प्रक्रिया के माध्यम से, यदि कोई वित्तीय अनियमितताएँ की गई हैं, उनका खुलासा करती हैं और उनको सुधारने के लिए समुचित उपायों को प्रस्तुत करती है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि ये संस्थाएँ/संगठनों जिनका उल्लेख हमने ऊपर किया है, यह भारत में बजट सम्बन्धी प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाती हैं। प्रत्येक वर्ष, बजट एक चक्रीय व्यवस्था का पालन करता है, जिसमें निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया हैः (1) बजट को तैयार करना (जिसमें यह क्रमवार दर्षाया जाता है कि व्ययों की धनराशि को कहाँ पर कितना खर्चा जाएगा); (2) बजट का अनुमोदन; (3) बजट का कार्यान्वयन, तथा अन्त में (4) लेखांकन करना (जिसमें यह निश्चित किया जाता है कि विभिन्न सरकार के विभागों द्वारा जो उनको धनराशि प्रदत्त की गई थी जो करों से प्राप्त की, उसका क्या समुचित उपयोग हुआ या उसको ठीक से व्यय किया गया है अथवा नहीं, यह निश्चित किया जाता है।

बोध प्रश्न 1

टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) आप बजट शब्द से क्या समझते हैं? बजट के महत्व और भूमिका की चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

5.5 वार्षिक बजट की तैयारी

बजट सम्बन्धी सूत्रीकरण बजट आकलन की तैयारी में प्रारंभिक कदम है। यह सरकार की गतिविधियों के अर्थपूर्ण समूहीकरण के लिए लाभदायक साधन माना गया है अथवा इसको स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त यह आँकड़ों के एक चक्र–व्यूह के प्रयोजन के प्रयोग का कार्य करता है और उसको साधारण तथा व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है, जिससे बजट के विवरणों को संसद के सदस्य आसानी से समझ सकें। बजट सम्बन्धी वर्गीकरण बजट कार्य की पद्धति के निष्पादन को प्रोत्साहित करने में विशेष रूप से सहायक हो सके। बजट सम्बन्धी वर्गीकरण के अंतर्गत सरकार की गतिविधियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनके नाम हैं: (i) सामान्य अथवा विनियमित सेवाएँ जैसे कि राजस्व, सुरक्षा (सेना), पुलिस सामान्य प्रशासन इत्यादि, (ii) सामाजिक और सामुदायिक सेवाएँ जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास इत्यादि, और (iii) आर्थिक सेवाएँ जैसे कि विदेश व्यापार, उद्योग, परिवहन, कृषि इत्यादि।

व्यापक श्रेणियों की शर्तों में बजट के वर्गीकरण के पश्चात् जैसे कि सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सेवाएँ हैं, इसके बाद इनको इकाइयों और उपइकाइयों में विभाजित किया गया है ताकि उनका मापन या सम्बन्धित गतिविधियों को आसानी से समझा जा सके। बजट अनुमान या आकलन का निर्माण एक वित्तीय वर्ष के चक्र का अनुपालन करता है जिसकी अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही होती है। भारत का संघीय बजट (जिसमें रेल बजट सम्मिलित होता है), इसको संसद में भारत के संघ के वित्त मंत्री के द्वारा फरवरी के प्रथम कार्य दिवस को प्रति वर्ष सदन के पटल पर रखा जाता है। हालाँकि दुर्वह देश प्रक्रिया बजट आकलन के अंतिम निर्माण में सम्मिलित की जाती है। इसके लिए पूर्व वर्ष सितम्बर–अक्तूबर के मास के आसपास होना आरंभ हो जाता है। इस प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए वित्त मंत्री द्वारा एक परिपत्र विभिन्न विभागों और मंत्रालयों को आगामी आने

वाले वित्त वर्ष के लिए उनके आय–व्यय के आँकड़ों को बजट में शामिल करने के लिए आमंत्रित करता है। उच्चतम नोडल अभिकरण से प्राप्त निर्देशों के आधार पर, विभिन्न प्रशासनिक अभिकरण अपने अनुमानित आंकलन तैयार करते हैं। इन विभागीय आंकलनों को विभागीय अध्यक्षों के द्वारा परीक्षा व जाँच परख करके वित्त विभाग/वित्त मंत्रालय द्वारा नवम्बर–दिसम्बर तक पास कर दिया जाता है। इस तरह से जनवरी के तीसरे सप्ताह तक वित्त मन्त्री राजस्व और खर्च का एक समेकित विवरण तैयार करने में सफल होते है, जिसको "वार्षिक वित्तीय विवरण" के नाम से जाना जाता है। इस विवरण को बजट दस्तावेज के नाम से जाना जाता है। यह सामान्यतः निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता हैः

1. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के वास्तविक आँकड़े या संख्या;
2. वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत बजट आकलन;
3. वर्तमान वित्तीय वर्ष का संशोधित आंकलन;
4. किसी भी तरह के आंकलन में वृद्धि या कम करने सम्बन्धी स्पष्टीकरण, टिप्पणी के साथ आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित आंकलन; और
5. आकलन की तैयारी के समय वर्तमान वित्तीय वर्ष के वास्तविक अनुमानों तथा पिछले वित्तीय वर्ष के इस समय अवधि के लिए वास्तविक आँकड़ों को प्रस्तुत करना;

निम्न के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष के प्रस्तावित "वार्षिक बजट" (Annual Budget) का आंकलन (i) चालू वर्ष का संशोधित आंकलन; (ii) पिछले वर्ष का वास्तविक 12 महीनों का और पिछले वर्शों का; (iii) पिछले वर्ष की संख्या में किसी मान्यता प्राप्त नियमितता; और (iv) किसी विशेष स्थिति के कारण परिवर्तन करना।

वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा मुख्य बजट दस्तावेज वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है जिसमें सरकार की प्राप्तियाँ और भुगतान को दर्षाया जाता है, इसमें तीन भाग होते हैं जिसके अंतर्गत सरकार के लेखाकरण को रखा जाता हैः (i) समेकित निधि (Consolidated Fund); (ii) आकस्मिक व्यय निधि (Contingeny Fund); और (iii) लोक लेखा (Public Accounts)।

सरकार द्वारा प्राप्त किया गया सम्पूर्ण राजस्व, इसके द्वारा ऋणों में की गई वृद्धि और इसके द्वारा अनुमोदित ऋणों की वसूली से प्राप्तियाँ को समेकित निधि का रूप दिया जाता है अथवा इसे समेकित निधि कहते हैं। सरकार के सभी खर्चे समेकित निधि से खर्च किए जाते हैं और संसद से बिना अधिकार प्राप्त किए बिना निधि से किसी भी प्रकार की धन राषि नहीं निकाली जा सकती है। ऐसा अवसर आ सकता है जब सरकार को तुरंत अदष्ट कारणों के कारण व्यय करने की आवश्यकता हो सकती है और संसद से प्राधिकृत प्राप्त करने में विलम्ब हो रहा होता है, इसके लिए बाद में प्राधिकार प्राप्त किया जा सकता है।

आकस्मिक निधि अग्रदायी या पेशगी के रूप में देखी जाती है जिसको राष्ट्रपति व्यय के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रकार के व्यय को संसदीय अनुमोदन मिल जाता है और इतनी ही निधि के समान राशि को समेकित निधि से निकाल लिया जाता है जो इसके बाद प्राप्त किया गया हो और जो धनराशि आकस्मिक निधि से खर्च की गई हो उस धनराशि की इस निधि से पूर्ति कर ली जाती है। संसद के द्वारा समग्र राशि निकालने के लिए प्राधिकृत किया हुआ है, वर्तमान में यह धनराशि 500 करोड़ रुपये रखी गई है।

इन दो निधियों के अतिरिक्त जोकि सरकार के लेखे के अंतर्गत रखी जाती है, यह लोक लेखा है जिसमें धन की प्राप्ति की जाती है और उसका वितरण किया जाता है। लोक लेखा

के सम्बन्ध में सरकार एक बैंक की तरह से कार्य करती है, जोकि लेनदेन का कार्य करती है जैसे कि भविष्य निधियों, लघु बजट संग्रह और अन्य जमा राषियों के संचालन का कार्य निष्पादन किया जाता है। लोक लेखा से इस प्रकार के भुगतान करने के लिए संसदीय अधिकृत मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें सीधे ही लेन–देन का संचालन किया जाता है।

कुछ मामलों में सरकार के राजस्व का एक हिस्सा विशेष प्रकार की गतिविधियों पर खर्च करने के लिए अलग से रखा जाता है जैसे कि मार्ग विभाग, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य इत्यादि पर व्यय किया जाता है। इस प्रकार की इन धनराशियों को समेकित निधि से निकाल कर जिसका अनुमोदन संसद से लिया जाता है और लोक लेखा में जमा करा दिया जाता है और फिर इस राशि को लोक लेखा से निकाल कर विशिष्ट मदों पर खर्च करने के लिए इसमें ले लिया जाता है।

बजट अन्य खर्चों से राजस्व लेखा के खर्च को अलग से प्रदर्शित करता है। इसलिए सरकार के बजट में निम्नांकित को शामिल किया जाता हैः (i) राजस्व बजट, और (ii) पूँजीगत बजट।

5.5.1 बजट की संवीक्षा

बजट की संवीक्षा (Scrutiny) करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। परीक्षा और बजट सम्बन्धी प्रस्तावों की संवीक्षा करने के कार्यों को दो स्तरों पर रखा जाता हैः प्रशासनिक और विधानमण्डलीय। प्रशासनिक संवीक्षा के कार्यों को विशिष्ट विभागों के उच्च स्तरीय अधिकारियों तथा इसी प्रकार से वित्त मंत्रालय के विभागों द्वारा संवीक्षा का कार्य निष्पादित किया जाता है। जब विभागों के अध्यक्षों द्वारा बजट को अनुमोदित कर दिया जाता है तब यह प्रस्ताव विभागीय बजट का एक भाग बन जाता है। इसके बाद यह देखा गया है कि यदि यह प्रस्ताव निर्माण कार्यों से सम्बन्धित है तो इसको लोक निर्माण विभाग को भेज दिया जाएगा और वहाँ से इस प्रस्ताव का तकनीकी अनुमोदन ले लिया जाएगा। प्रशासनिक संवीक्षा के अंतिम चरण के रूप में सभी विभागीय बजटों की विशेष कर "नई मदों" की वित्त मंत्रालय द्वारा बहुत ही बारीकी से संवीक्षा की जाती है और इसके पश्चात् निर्णायक महत्व देकर प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है।

विधानमण्डल द्वारा संवीक्षा करना उसका अपना कार्य और महत्व होता है। यह बजट बनने से आरम्भ होता है जिसको संसद में प्रस्तुत किया जाता है। सन् 1993 में 24 विभागों से सम्बन्धित स्थायी समितियों की स्थापना की गई थी, इसके पश्चात् बजट की विधानमण्डलीय संवीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण और अधिक तीव्रता से कार्य संकेन्द्रित हो गया।

अन्त में संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बजट सम्बन्धी प्रस्ताव पर वाद–विवाद चरम स्तर पर पहुँच जाता है और अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाता है।

5.5.2 बजट–निर्माण के सिद्धान्त

बजट को बनाने में कुछ मूल सिद्धान्तों के द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है जिनका पालन करना आवश्यक होता है। इनमें से कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं जो निम्नलिखित हैः

1. **एक संतुलित बजट का होना अत्यंत आवश्यक हैः** सामान्यतया यह कहा जाता है कि अनुमानित खर्च की राषि अनुमानित आय से अधिक की राषि नहीं होनी चाहिए। जब

खर्च की वार्षिक धनराशि अनुमानित आय से अधिक हो जाती है, उसे घाटे का बजट कहा जाता है। यद्यपि, घाटे का बजट बनाना जोखिम वाला होता है, इसके कारण मुद्रा स्फीति हो सकती है। हालाँकि, यह एक स्तर तक स्वीकार्य होता है क्योंकि यह संघर्ष करने में सहायता करता है, अथवा आर्थिक गतिविधियों में गिरावट ला सकता है।

2. **नकद धनराशि के आधार पर आंकलन होना चाहिएः** जिस प्रकार से भारत, ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। यह नकद राषि बजट का प्रकार होता है, इसके लाभ होते हैं कि एक वर्ष का लेखाकरण पहले समाप्त होते ही आप वर्ष का लेखाकरण तुरंत तैयार कर सकते हैं; हालाँकि यह वर्ष के लिए वास्तविक वित्तीय चित्र को प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है। आस्थगित भुगतान के द्वारा जोकि उसी वर्ष में दिया जाना होता है, उसे घाटे के स्थान पर अतिरिक्त शेष या फालतू राशि के रूप में वर्तमान वर्ष के बजट में दिखाया जाएगा, जोकि बिल्कुल गलत है। नकद राशि बजट में विपरीत; यह राजस्व बजट होता है, जिसमें इस घाटे को ठीक किया जाता है परन्तु यह लेखाकरण की तैयारी और प्रस्तुतीकरण में परिणाम देर से निकलते हैं और अनावष्यक ही देरी का सामना करना पड़ता है और इस तरह से यह वित्तीय नियंत्रण के कार्य को जटिल बना देता है।

3. बजट आवर्ती खर्च और आय के बीच अन्तर होना या करना एक कार्य है और दूसरी ओर पूँजीगत भुगतान और प्राप्तियों को अलग–अलग तरह से दर्षाने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त दूसरी ओर आवर्ती या राजस्व बजट तथा पूँजीगत बजट के बीच अन्तर रखना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक भाग को अलग–अलग संतुलित करना आवश्यक है तथा दोनों को लेखे में ले कर सम्पूर्ण रूप से अधिषेश या घाटे को निश्चित रूप से जानना नितांत आवश्यक है।

4. **बजट सकल होना चाहिए तथा निवल नहींः** आय और व्यय के लेन–देन को स्पष्ट और पूरी तरह से दिखाया जाना आवश्यक है न कि केवल सामान्य रूप से परिणामी निवल स्थिति को बताया जाए। इस नियम की अवहेलना करने से स्थापित वित्तीय प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तथा इसके परिणामस्वरूप नियंत्रण में षिथिलता आएगी और लेखा इत्यादि अपूर्ण बने रहेंगे।

5. **बजट आंकलन जितना संभव हो यथार्थ होना चाहिएः** सकल से ऊपर आंकलन भारी करों को आमंत्रित करता है अर्थात् अधिक कर भुगतान की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही सकल से कम आंकलन जब उसका क्रियान्वयन किया जाता है तो संपूर्ण बजट की संक्रिया व गति अवरुद्ध हो जाती है। निकट आंकलन प्रायः जब से तैयार किया जाता है तब विभिन्न "षीर्शकों" के अंतर्गत पिछले तीन वर्शों की औसत संख्या को प्राप्त करके अनुमान लगाया जाता है और आवश्यक समायोजन का कार्य तैयार किया जाता है। मदों के अनुसार, आंकलन करना निकट बजट कार्य को बनाने में सहयोग प्रदान करता है। सामान्यतः एक व्यक्ति व्यय के आंकलन में उदार वृद्धि अपनाता है और आय के अनुमान लगाने में वह रुढ़िगत हो जाता है।

6. बजट में प्रयोग करने के लिए औपचारिक वर्गीकरण लेखों के समरूप या आकार के अनुसार होना चाहिए और बजट के शीर्षक उन लेखों के अनुरूप होने चाहिए। यह बजट को तैयार करने में, बजट पर नियंत्रण करने और लेखाओं को व्यवस्थित करने में सहयोग देता है।

7. **व्ययगत का नियम**: यह बजट से सम्बन्धित अंतिम सिद्धान्त है। अनुदान का कोई अंष या भाग वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में इस तरह की बची हुई ध ानराशि को आगामी वित्तीय वर्ष में जोड़ दिया जाता है। यदि इस नियम को लागू नहीं किया जाता है तो यह विभाग के निर्णय पर छोड़ दिया जाता है कि वह इसको सम्मिलित करें और जो धनराशि खर्च नहीं की जा सकी है आगामी वित्तीय वर्ष में शामिल कर दी जाती है, इस तरह से यह राषि विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हो जाती है।

5.6 बजट संबंधी प्रस्ताव को अधिनियमित करना

संसद द्वारा बजट को अनुमोदन कराना बजट सम्बन्धी प्रक्रिया में यह एक निर्णायक स्थिति या अवस्था होती है। इस संदर्भ में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसका ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि संविधान के अनुच्छेद 112 से 117 में उल्लेखित बजट सम्बन्धी मामलों में भारतीय संसद की प्रदत्त शक्तियाँ क्या हैं? यह शक्तियाँ संक्षेप में निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत की गई है:

1. राष्ट्रपति द्वारा मंजूर की गई धनराशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अनुदान के लिए माँग नहीं की जाएगी।

2. व्यय से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के लेन–देन के प्रस्ताव को राष्ट्रपति की मंजूरी लेना नितांत आवश्यक है।

3. संसद किसी भी प्रकार करों को कम कर सकती है अथवा उनको समाप्त कर सकती है किन्तु करों में वृद्धि नहीं कर सकती है।

4. व्यय की कुछ मदें भारत की समेकित निधि से "प्रभारित" (Charged) की जाती हैं जैसे कि राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीष, राज्य सभा के सभापति और उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और कुछ अन्य लोगों के वेतनों और उनके देय भत्तों को उपर्युक्त निधि से खर्च किया जाता है। इस तरह के "प्रभारित" व्यय को प्रस्तुत तो किया जाता है किन्तु इसको संसद में वोट के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

5. संसद, विनियोग बिल में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है जैसे कि राषि में अन्तर आना, व्यय को प्रभारित करना या कोई अन्य प्रकार अथवा किसी अनुदान की सीमाओं को बदलना जैसे कार्य करने का अधिकार नहीं है।

6. वित्तीय मामलों में राज्य सभा की शक्तियों पर पाबन्दी लगाई गई है। उसे वित्तीय बिल को स्वीकार करना है चाहे उस पर किसी प्रकार की सिफारिश की गई है अथवा नहीं की गई है, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है, इसके साथ ही 14 दिन की अवधि में उसे स्वीकार करना और वापिस भी करना है। राज्य सभा द्वारा दी गई सिफारिशें लोक सभा पर निर्भर करती हैं, यह उसका अधिकारक्षेत्र है कि सिफारिशों को मानें अथवा न मानें। किसी भी मामले में वित्तीय बिल दोबारा राज्य सभा में नहीं भेजा जाएगा, इस बिल को सीधे राष्ट्रपति के पास उनकी अनुमति लेने के लिए भेज दिया जाएगा।

आइए, अब हम संसद में बजट सम्बन्धी प्रक्रिया के संचालन की विभिन्न अवस्थाओं की समीक्षा करते हैं।

1. **विधानमण्डल में प्रस्तुतीकरण:** वित्त मंत्री प्रायः फरवरी महीने के प्रथम कार्य दिवस को लोकसभा में वित्तीय बिल को रखता है। वह बजट से सम्बन्धी अपना एक भाशण देता है जिसकी व्यापारी लोग बहुत ही बेकरारी से प्रतीक्षा करते हैं, इससे वह करों के प्रस्तावों का संकेत देते हैं और सरकार की आर्थिक तथा वित्तीय नीतियों का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। बजट की उच्च सदन यानी कि राज्य सभा में भी प्रस्तुत किया जाता है, यद्यपि उसके पास वित्तीय शक्तियाँ अत्यंत सीमित हैं।

2. **सामान्य परिचर्या:** बजट प्रस्तुत करने के पश्चात् यह परिचर्या कुछ दिन चलती है। यह लगभग दो या तीन दिन तक चलती है। प्रत्येक सदन में यह चर्चा बजट में रेखांकित की गई सामान्य सिद्धान्त या नीति पर आधारित होती है। चर्चा विस्तार से नहीं की जाती है, इस पर किसी प्रकार का मत प्राप्त नहीं किया जाता है और न ही इसे कम करने का कोई प्रस्ताव रखा जाता है, इसकी अनुमति भी नहीं होती है। इस सार्वजनिक चर्चा का विषय सरकार के कार्यक्रमों का अवलोकन करना होता है तथा विशेषकर "प्रभारित" व्यय से सम्बन्धित चर्चा की जाती है। परिचर्चा के अंत में सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों और प्रमुख बिन्दुओं के उत्तर वित्त मंत्री द्वारा दिए जाते हैं।

3. **अनुदानों की माँगों पर मतदान:** सामान्य परिचर्चा के पश्चात्, लोक सभा में माँगों पर मतदान कराया जाता है। व्यय के लिए जो मतदान कराया जाता है, यह बजट का महत्वपूर्ण भाग है जिसमें निचले सदन का विशिष्ट विशेषाधिकार होता है। मंत्रालयवार माँगों को प्रस्तुत किया जाता है और प्रत्येक माँग पर मतदान किया जाता है। इस स्तर पर विस्तारपूर्वक लम्बी परिचर्चा की जाती है। विपक्ष के सदस्य प्रत्येक प्रस्ताव की आलोचना करते हैं जिसे ध्यान से सुना भी जाता है। सदस्य कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकते हैं, इन प्रस्तावों के तीन प्रकार होते हैं जिनके नाम नीति का अनुमोदन कटौती, आर्थिक कटौती और टोकन कटौती हैं। इन कटौतियों के पीछे सरकार के विभागों और कुप्रशासन को सबके सामने लाना और उनकी आलोचना करना होता है। जब अंतिम रूप से निर्णय लेने के लिए मतदान कराया जाता है तो प्रायः विपक्ष को मात खानी पड़ती है क्योंकि सरकार के पास बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। वास्तव में इसका अर्थ यह निकलता है कि कटौती प्रस्तावों का मूल्य केवल प्रतीकात्मक ही होता है।

लोक सभा में माँगों पर होने वाले मतदान को लगभग 30 से 40 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से पूरा करना होता है। प्रत्येक माँग के लिए समय सीमा का निर्धारण सदन के नेता से सलाह करके लोक सभा अध्यक्ष के द्वारा बजट के सम्पूर्ण व्यय पर निश्चित किया जाता है। समय अनुसूची को ध्यानपूर्वक देखा जाता है और उसका पालन किया जाता है। इसके अंतिम दिन शेष सभी माँगों पर मतदान किया जाता है। इस पर हो सकता है कि परिचर्या समुचित न हो। मतदान होने के पश्चात् माँगें अनुदान का स्वरूप ग्रहण कर लेती हैं।

5.6.1 अनुदानों के लिए माँगें

समेकित निधि से व्यय करने के आंकलन को वार्षिक वित्तीय विवरण सम्मिलित कर लिया जाता है और संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुपालन के लिए अनुदान के हेतु माँगों के स्वरूप में मतदान प्राप्त करने के लिए लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है। सामान्यतः, प्रत्येक मन्त्रालय या विभाग के सम्बन्ध में अनुदान के लिए एक माँग को प्रस्तुत किया जाता है। हालाँकि, अत्यधिक मन्त्रालयों और विभागों के सम्बन्ध में एक से अधिक माँगों को प्रस्तुत किया जाता है। प्रायः प्रत्येक माँग सेवा के लिये संचालन के सभी प्रावधानों को पूरा करने की आवश्यकता होती है जिनको शामिल कर लिया जाता है जोकि राजस्व व्यय का लेखा,

पूँजीगत व्यय, राज्य को अनुदान तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के सरकारों को और सेवा से सम्बन्धित ऋणों तथा पेषगियों को भी शामिल करने के प्रावधानों का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही बिना विधानमण्डल के केन्द्र शासित प्रदेशों के सम्बन्ध में उनमें से प्रत्येक के लिए अलग से माँगों को प्रस्तुत किया जाता है। इस विषय को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अनुदानों की माँगों के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ लोक सभा में इनको प्रस्तुत किया जाता है।

5.6.2 वित्तीय बिल

संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करते समय वित्तीय बिल के लिए संविधान के अनुच्छेद 110(1)(क) के प्रावधानों को भी पूरा करने की आवश्यकता होती है जिसमें बजट में प्रस्तावित करों को लगाना, समाप्त करना, करों की छूट देना, परिवर्तन का सम्पूर्ण विवरण देने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। वित्तीय बिल एक धन का बिल होता है जिसको संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। इसके साथ एक ज्ञापन को संलग्न किया जाता है जिसमें शामिल प्रावधानों को स्पष्ट किया जाता है।

5.6.3 विनियोग बिल

लोक सभा के द्वारा अनुदानों की माँगों पर मतों द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् वांछित राषि को समेकित निधि से निकालने की स्वीकृत प्राप्त हो जाती है जो समेकित निधि से प्रभारित व्यय को जिसकी आवश्यकता को पूरा करना है, के लिए विनियोग बिल (Appropriation Bill) को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। संविधान के अनुच्छेद 114(3) के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि बिना संसद की कानूनी स्वीकृति की समेकित निधि से किसी भी तरह से धनराशि नहीं निकाली जा सकती है।

5.7 बजट का विधायी अनुमोदन

लोक सभा में विनियोग बिल पारित हो जाने के पश्चात् अध्यक्ष एक धन बिल के रूप में प्रमाणपत्र देता है और इसको राज्य सभा में भेज दिया जाता है। यहाँ पर बिल पर चर्चा की जाती है और इसको लोक सभा में भेज दिया जाता है जिसमें राज्य सभा की सिफारिशें लगी होती है। इसके पश्चात् लोक सभा इस विनियोग बिल को अंतिम रूप प्रदान करती है और फिर उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज देती है जोकि एक अनुक्रम का विषय या मामला होता है। अतः विनियोग बिल विनियोग अधिनियम का रूप धारण कर लेता है यानी कि यह विनियोग अधिनियम बन जाता है।

कानून बनने से पहले इस पर विधानमण्डल में दो भागों में चर्चा की जाती है। प्रथम, इसमें व्यय की ओर चर्चा की जाती है तथा इसके बाद राजस्व के सम्बन्ध में चर्चा की जाती है। सभी विधानमण्डल आंकलन की परीक्षा करने के लिए समितियों का व्यापक रूप से प्रयोग करते हैं। विधानमण्डल में दो अलग–अलग बिल पारित किए जाते हैं; एक विनियोग बिल जिसमें धन को खर्च करने के लिए कानूनी प्राधिकृत किया जाता है, दूसरे में राजस्व बिल होता है जिसमें कर लगाना और करों को वसूल करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। विधानमण्डल के द्वारा दोनों बिलों को पारित करने के पश्चात् इनको राजनीतिक कार्यकारियों के द्वारा लागू करने की प्रक्रिया आरंभ होती है अथवा उनके द्वारा इनको कार्यान्वित करना होता है।

5.8 बजट का कार्यान्वयन

बजट प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल को कार्यान्वित होने लगता है। नोडल एजेंसी, वित्त मंत्रालय उन मंत्रालयों को सूचित करती है कि उनके लिए कितनी निधि आबंटित की है और उस निधि को अपने कार्यों में खर्च करने की सलाह दे देती है। इसके पश्चात्, विभागों के अध्यक्ष आबंटित धन को विभागों को राशि–वितरण अधिकारियों को यह धनराशि जो आबंटित की है उनको सौंप देती है। हालाँकि, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कुछ सीमित सीमाओं से अधिक धनराशि को खर्च नहीं कर सकते हैं, उनकी भी सीमाएँ निर्धारित की गई है। यदि उनको सीमाओं से अधिक व्यय करने की आवश्यकता है तो वे सक्षम प्राधिकारियों से इसकी अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही लेखाकरण के निर्धारित पद्धति के अनुसार व्यय करने वाला प्रत्येक विभाग को अपने यहाँ के भुगतान और प्राप्तियों का रिकार्ड रखना होगा जिसका पालन करना अनिवार्य होता है।

5.8.1 बजट का लेखाकरण और लेखा परीक्षा

भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक सांविधानिक प्राधिकरण है। वह संसद के द्वारा निर्धारित किए गए बजट के अनुसार संघ और राज्य सरकारों के लेखा से सम्बन्धित दी गई शक्तियों का प्रयोग करता है और अपने कर्त्तव्यों एवं व्यवहार के लेन देन में विनियमों के अनुसार कार्य निष्पादन करता है। इस प्रकार से वह, देश मे लेखाकरण और लेखा परीक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण संरक्षक है।

लेखा परीक्षा करना बजट चक्र का एक भाग है जिसकी अभिकल्पना इस तरह से की गई है कि लोक निधि (करों इत्यादि द्वारा एकत्रित की गई धनराशि) का समुचित रूप से व्यय किया जा सके। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि लेखा परीक्षा एक स्वतंत्र प्राधिकरण है जिसका उद्देश्य यह है कि वह विधि और सक्षमता के साथ विधि संगत लोक संगठनों या कार्यक्रमों में व्यय की गई धनराशि का समुचित रूप से उपयोग हो। दूसरे शब्दों में इसे यह कह सकते हैं कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय लेखा परीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है यानी कि यह उसका उत्तरदायित्व है। एक लेखा परीक्षा को देश के वित्तीय प्रशासन के ऊपर प्राथमिक रूप में विधायी नियंत्रण तथा उत्तरदायित्व के विस्तार के रूप में देखा जाता है। हमारे देश में लेखा परीक्षा को व्यय पर नियंत्रण करने पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाता है अथवा यह कह सकते हैं कि अपव्यय पर नियंत्रण करने का एक सषक्त उपाय है।

बोध प्रश्न 2

टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) बजट को अधिनियमित करने में केन्द्रीय वित्त मंत्रालय और संसद की भूमिका की चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) संसदीय वित्तीय समितियों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

5.9 निष्कर्ष

सन् 2017–18 के लिए निश्चित बजट में तीन प्रमुख सुधार किए गए। प्रथम, लेखानुदान से बचने के लिए संसद में बजट 1 फरवरी से पहले प्रस्तुत किया गया और वर्तमान वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पूर्व ही वर्ष 2017–18 के लिए एकल विनियोग बिल को पारित कर दिया। इससे मंत्रालयों और विभागों को नई योजनाओं या स्कीमों के सहित सभी स्कीमों और परियोजनाओं को परिचालन के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के ठीक आरंभ होने से पहले उनको कार्य निष्पादन के लिए सक्षम बना दिया गया। वे मानूसन के आरंभ होने से पहले ही मौसम के लिए कार्य पूरा करने के उपायों का उपयोग करने में सक्षम हो सकेंगे। द्वितीय, वर्ष 2017–18 से सामान्य बजट के साथ रेलवे के बजट को सम्मिलित कर लिया गया जोकि एक ऐतिहासिक कदम था। सन् 1924 से जो औपनिवेशिक व्यवस्था चली आ रही थी उसको समाप्त कर दिया गया। इस निर्णय से रेलवे को सरकार की राजकोषीय नीति के अंतर्गत केन्द्रीय स्थिति में स्थापित कर दिया गया है और रेलवे, राजमार्गों तथा अंतर्देशीय जल मार्गों के बीच बहुमॉडल परिवहन योजना अन्तर्गत उसमें शामिल होने के अवसर उपलब्ध करा दिए गए हैं। हालाँकि, रेलवे की कार्यात्मक स्वायत्तता में कोई कमी नहीं आएगी, वह पहले की तरह से संचालित होती रहेगी। तृतीय, व्यय की योजना और गैर–योजना के वर्गीकरण को 2017–18 से निरस्त कर दिया गया है। इससे क्षेत्रों और मंत्रालयों के लिए आंवटन का समग्रतावाद के विचार दिया गया है और इससे संसाधनों को अधिकतम आबंटित करने की सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

5.10 शब्दावली

बजट (Budget) : यह एक विशिष्ट अवधि के लिए आय और व्यय का प्राधिकृत कानूनी विवरण होता है।

चक्र (Cycle): यह घटनाओं की श्रंखला (अनुक्रमांक) है जिसकी समान व्यवस्था में नियमित रूप से आवृत्ति होती है।

भंग होना (विघटन) (Dissolution): सदन का भंग (विघटन) होने के संदर्भ में जब लोक सभा भंग होती है उस समय जो मामले सदन के पटल पर विलम्बित होते हैं, वे विलिप्त हो जाते हैं।

वित्त बिल (Finance Bill) : वित्त बिल आप किसी को भी कह सकते हैं जोकि राजस्व या व्यय से सम्बन्धित होता है और जिस पर उच्च सदन यानी की राज्य सभा का न्यूनतम क्षेत्राधिकार होता है।

भुगतान का अन्तरण (Transfer Paymeents): सरकार से धनराशि का अन्तरण व्यक्तिगत प्राप्तकर्त्ताओं को किया जाता है जैसे कि कृषि अनुदान, आपदा राहत अनुदान इत्यादि।

5.11 संदर्भ लेख

Bridges, L. (1964). *The Treasury,* London, UK: Allen and Unwin.

Dimock, M.E., Dimock, G. and Koeing, L.W. (1969). *Public Administration*, New York, USA: Holt Rinehart.

Mahajan, S.K. and Mahajan, A.P. (2014). *Financial Administration in India.* New Delhi, India: PHI Learning.

Prasad, K. (2006). *Indian Administration*. New Delhi, India: Pearson.

Royal Institute of Public Administration Study Group. (1959). *Budgeting in Public Authorities.* London, UK: Allen & Unwin.

Thavaraj, M.J.K. (2009). *Financial Administration in India.* New Delhi, India: Sultan Chand.

United Nations. (1975). *Development Administration: Current Approaches and Trends in Public Administration for National Development.* New York, USA: Department of Economic and Social Affair.

Wildavsky, A. (1974). *The Politics of the Budgetary Process*. Boston, USA: Little Brown.

5.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) आपके उत्तर में निम्न को सम्मिलित होना चाहिए:
   - बजट की परिभाषा
   - वित्तीय प्रशासन का साधन के रूप मे उसका महत्व
   - लोक वित्त के ऊपर विधायी नियंत्रण का एक उपकरण
2) आपके उत्तर में निम्न को सम्मिलित होना चाहिए:
   - बजट की तैयारी करना
   - बजट अनुमोदन
   - बजट कार्यान्वयन
   - लोक लेखा की लेखा परीक्षा

बोध प्रश्न 2

1) आपके उत्तर में निम्न को सम्मिलित होना चाहिए:
   - बजट का प्रस्तुतीकरण
   - बजट की संवीक्षा
   - संसद में चर्चा करना
   - बजट का विधायिका द्वारा अनुमोदन
2) आपके उत्तर में निम्न को सम्मिलित होना चाहिए:
   - तीन समितियों के नाम लिखिए।
   - समिति की प्रत्येक भूमिका
   - संसदीय समितियों का महत्व